राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 30/2019 अपील

1. चांद मोहम्मद पुत्र ईस्माईल खां भिश्ती मुसलमान निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा	बनाम	1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा
–अपीलार्थी		– रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार शाहपुरा प्रकरण संख्या 42/2017 दिनांक 04.01.2018

उपस्थित –

1. श्री अरूण देराश्री अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 26-02-2020

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू राजस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार शाहपुरा का प्रकरण सं. 42/2017 निर्णय दिनांक 04.01.2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का शाहपुरा की आराजी संख्या 2238 रकबा 0.44 हैक्ट. जिस पर अपीलाण्ट का अपने पिताजी के समय से ही संवत् 2030 से नाजायज कब्जा चला आ रहा है एवं लगातार नियमित रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करते हुए पेनल्टी जमा करायी जाती रही है। उक्त आराजियात में एक अन्य नाजायज कब्जेधारी मंजूर पुत्र मुमताज मुसलमान को जरिये मिसल संख्या 1046/71 के द्वारा नियमन की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवायी का अवसर दिये ही प्रथम पेशी पर निर्णय पारित किया गया हैं जो विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य है। उक्त भूमि ही अपीलार्थी के परिवार की आजीविका का एकमात्र जरिया है। अपीलार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी 26.07.2019 को हुयी। निर्णय दिनांक से अपील पेश करने में हुयी देरी के समय को कण्डोन किये जाने हेतु धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.08.2019 को पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने लिखित बहस एवं अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवार हल्का शाहपुरा की आराजी संख्या 2238 रकबा 0.44 हैक्ट.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

जिस पर अपीलाण्ट का अपने पिताजी के समय से ही संवत् 2030 से नाजायज कब्जा चला आ रहा है एवं लगातार नियमित रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करते हुए पेनल्टी जमा करायी जाती रही है। उक्त आराजियात में एक अन्य नाजायज कब्जेधारी मंजूर पुत्र मुमताज मुसलमान को जरिये मिसल संख्या 1046/71 के द्वारा नियमन की गयी है। विवादित आराजियात पर प्रार्थी अपीलाण्ट का पुराना कब्जा होकर नियमित होने योग्य हैं, जिसके प्रमाण हेतु राजस्थान सरकार राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र 01.04.1991 एवं 16.10.2001 को जारी परिपत्र में भी राजस्थान सरकार की मंशा रही हैं कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत राजकीय कृषि योग्य भूमि पर अगर कोई काश्तकार अतिक्रमण कर काश्त करता हैं तो उक्त काश्तकार का पुराना कब्जा अगर अतिक्रमी साबित कर देता हैं तो वह नियमानुसार नियमित करवाने की पात्रता रखता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवायी का अवसर दिये ही प्रथम पेशी पर निर्णय पारित किया गया हैं जो विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य है। उक्त भूमि ही अपीलार्थी के परिवार की आजीविका का एकमात्र जरिया है। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है जो निम्न है :– RLW 2008(1) RJ Nathu singh & Ors. Vs State of Rajasthan & Anr. Decided on 7th September 2007 पेज नं. 670 पर प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त की फोटोप्रति, RLW 2018(1) Page no. 553 Archna Kashyap & Ors. Vs State of Rajasthan & Anr.

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि श्री चांद मोहम्मद पिता ईस्माईल खां मिश्ती निवासी शाहपुरा के द्वारा ग्राम शाहपुरा के आराजी नं. 2238 रकबा 0.44 हैक्ट. किस्म बारानी द्वितीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण सं. 42/2017 दर्ज कर धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर अतिक्रमी को सरकारी बिलानाम आराजी संख्या 2238 रकबा 0.44 हैक्ट. से बेदखल किये जाने एवं शास्ति 150/–रू. से दिनांक 04.01.2018 को दण्डित किया गया है जो नियमानुसार है। अपीलार्थी के भूमिहीन होने संबंधी एवं कब्जा होने संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें। ग्राम शाहपुरा की बिलानाम आराजी नं. 2238 नगरपालिका की सीमा में होने से आवंटन /नियमन योग्य नही हैं।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम शाहपुरा तहसील शााहपुरा के आराजी नं. 2238 रकबा 0.44 हैक्ट. किस्म बारानी द्वितीय भूमि पर तहसीलदार शााहपुरा के निर्णय अनुसार अतिक्रमी का उक्त आराजियात पर अतिक्रमण होने से उक्त आराजी से बेदखल किये जाने एवं 150/– रूपये शास्ति आरोपित की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 42/2017 में दिनांक 04.01.2018 को आदेश पारित किया गया हैं वह युक्तियुक्त होकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसमे कोई त्रुटि नहीं की है। अपीलार्थी ने अतिक्रमण नियमित होने संबंधी प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। अपीलार्थी के भूमिहीन होने संबंधी एवं कब्जा होने संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। आराजी नं. 2238 बिलानाम भूमि पर जब–जब चांद मोहम्मद पिता ईस्माईल खां भिश्ती द्वारा अतिक्रमण किया गया, प्रत्येक वर्ष में बेदखली आदेश पारित किये गये जिससे अतिक्रमी का नियमित कब्जा नहीं रहा हैं। ग्राम शाहपुरा की बिलानाम आराजी नं. 2238 नगरपालिका की सीमा में होने से आवंटन/नियमन योग्य नही हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, शाहपुरा प्रकरण सं0 42/2017 निर्णय दिनांक 04.01.2018 के क्रम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.01.2018 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड़ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21-02-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा